(10)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा-दीवानी [illegible] बनाम गोपाल राम वगैरा
17.6/20[illegible]

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.6.18	पत्रावली पेश हुई। आवेदक [illegible] तरफ से अभिभाषक उपस्थित। मध्याह्न-पश्चात विपक्षीगण पुकारे जाने पर भी स्वयं/ अभिभाषक उपस्थित। विपक्षीगण स्वयं/वकालतन अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के रूप में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजे जाने के कारण दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी रा० राजस्व मण्डल राज०, अजमेर में दिनांक 28.8.2018 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो। नियत दिनांक से पूर्व पत्रावली भेजी जावे। पत्रावली पेश्तर [illegible] होकर दर्ज नम्बर से बाद निर्णय हेतु इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 06/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. गोपाललाल पुत्र नारायण, जाति–जाट, नि0–महरियो का बास, ग्राम पचार, जयपुर।
2. गणेशलाल पुत्र नारायण, जाति–जाट, नि0–महरियो का बास, ग्राम पचार, जयपुर।
3. रामलाल पुत्र नारायण, जाति–जाट, नि0–महरियो का बास, ग्राम पचार, जयपुर।
4. तीजा पत्नी नारायण, जाति–जाट, नि0–महरियो का बास, ग्राम पचार, जयपुर।
5. रामेश्वर पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
6. नानूराम पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
7. लालाराम पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
8. भोलाराम पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
9. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री सुवा,जाति–जाट, नि0–ग्राम पचार,महरियो का बास, जयपुर।
10. मोहरी पत्नी स्व0 श्री सुवा, जाति–जाट, नि0–ग्राम पचार, महरियो का बास,जयपुर।
11. सुवाराम पुत्र रूगाराम, जाति–जाट, निवासी–महरियो का बास, ग्राम पचार, जयपुर।
    - 11/1 मोहनी पुत्री सुवाराम पत्नी लालाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम भॉकरोटा, नाडो की ढाणी, जयपुर।
    - 11/2 मीरा पुत्री सुवाराम, पत्नी गोविन्दराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जयपुर।
12. संज्या पत्नी स्व0 श्री गुल्ला, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, जयपुर।
13. रामेश्वर पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
14. नानूराम पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
15. लालाराम पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
16. भोलाराम पुत्र सुवा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, महरियो का बास, जयपुर।
17. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री सुवा,जाति–जाट, नि0–ग्राम पचार,महरियो का बास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 26.06.2018

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–पचार की आराजी खसरा नं0 887 रकबा 2 बिस्वा, आ0ख0नं0 888 रकबा 3 बीधा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 889 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा, आ0ख0नं0 890 रकबा 4 बीधा 7 बिस्वा, आ0ख0नं0 891 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, आ0ख0नं0 892 रकबा 3 बीघा कुल किता 6 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त के बजाय पुजारी अंजनीनन्दन पुत्र उमादत्त, जाति–ब्राह्मम्ण, निवासी–बनारस के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् विक्रय एवं विरासत नामान्तरकरण होकर जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में अप्रार्थी गोपाललाल, गणेशलाल, रामलाल पुत्र नारायण, तीजा पत्नी स्व0 श्री नारायण, रामेश्वर, नानूराम, लालाराम, भोलाराम, बाबूलाल पि0 सुवा, मोहरी देवी पत्नी स्व0 श्री सुवा, जाति–जाट, सुवा पुत्र रूगाराम, संज्या पत्नी स्व0 श्री गुल्ला, रामेश्वर, नानूराम, लालाराम, भोलाराम, बाबूलाल पुत्र सुवा, जाति–जाट के नाम दर्ज है जो पुनः माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन /वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाश्त दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारी अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात् विक्रय व विरासत नामान्तरकरण के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी

सम्वत् 2059–2062 में दर्ज है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का

(14)

कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ गुरू अंजनीनन्दन वल्द उमादत्त कौम–ब्राह्मम्ण काशी मौहल्ला व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 193, 492, 651, 652, 749, 844, 1001 व 1044 प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी पुन्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव खुदकाश्त के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को मा0राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/7/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर